

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 362
उत्तर दिनांक 26.03.2025 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

*362. श्री ज्ञानेश्वर पाटील
श्री अमरा राम

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं;
- (ख) मध्य प्रदेश सहित देश में उक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा का राज्यवार और संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों को भी लाभ होने की संभावना है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;
- (ङ) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है तथा इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (च) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

“परमाणु ऊर्जा संयंत्र” के संबंध में श्री ज्ञानेश्वर पाटील व श्री अमरा राम द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 362 के भाग (क) से (च), जिसका उत्तर दिनांक 26.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

- (क) देश में 24 रिएक्टर वाणिज्यिक रूप से प्रचालित हैं। एक और रिएक्टर, आरएपीएस-7 (700 मेगावाट) को 17 मार्च, 2025 को ग्रीड से जोड़ा गया, जिससे प्रचालनरत रिएक्टरों की संख्या 25 हो गई। वर्तमान में, मध्य प्रदेश राज्य में कोई प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत रिएक्टर नहीं है।
- (ख) चालू वर्ष (वित्त वर्ष-2024-25) में फरवरी 2025 तक विद्युत उत्पादन का राज्य-वार और संयंत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
- (ग) वर्तमान में मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने सहित, कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।
हालाँकि, मध्य प्रदेश में, सरकार ने पहले ही चुटका, मंडला जिले में 2X700 मेगावाट की नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय मंजूरी और भीमपुर, शिवपुरी जिले में प्रत्येक 700 मेगावाट के 4 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के लिए स्थल का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- (घ) व (ङ) 'ग' के मददेनजर प्रश्न नहीं उठता।
- (च) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन आदि में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रेडियोसक्रियता के स्रोत और पर्यावरण के बीच कई रोध हों। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है और इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। इसके अलावा एक मजबूत आंतरिक और स्वतंत्र नियामक तंत्र मौजूद है और संयंत्रों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआईएल और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) दोनों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा की जाती है।

राज्य	स्थल	इकाई	क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (मिलियन यूनिट में) अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक
महाराष्ट्र	तारापुर	टीएपीएस-1	160	नवीनीकरण हेतु परियोजना मोड के अधीन
		टीएपीएस-2	160	
		टीएपीएस-3	540	4283
		टीएपीएस-4	540	3468
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीएस-1	100	विस्तारित शटडाउन के अधीन
		आरएपीएस-2	200	1194
		आरएपीएस-3	220	856
		आरएपीएस-4	220	1406
		आरएपीएस-5	220	1659
		आरएपीएस-6	220	1823
		आरएपीएस-7	700	दिनांक 17.03.2025 को ग्रिड से जोड़ा गया
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	एमएपीएस-1	220	नवीनीकरण हेतु परियोजना मोड के अधीन
		एमएपीएस-2	220	1518
	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-1	1000	7675
		केकेएनपीपी-2	1000	6643
उत्तर प्रदेश	नरौरा	एनएपीएस-1	220	1682
		एनएपीएस-2	220	1743
गुजरात	काकरापार	केएपीएस-1	220	1512
		केएपीएस-2	220	1697
		केएपीएस-3	700	3838
		केएपीएस-4	700	4266
कर्नाटक	कैगा	केजीएस-1	220	1672
		केजीएस-2	220	1412
		केजीएस-3	220	1866
		केजीएस-4	220	1750